

9

पूर्व मध्य रेल
स्वास्थ्य विभाग / सोनपुर

संख्या: H/180/Med /Impnl/Local purchase/DS/SEE

दि: 27-04-20

मुख्य चिकित्सा निदेशक, हाजीपुर के पत्र सं० ECR/MED/RMC/Vig. दि: 03-01-20 के आलोक में सोनपुर मंडल चिकित्सालय में दवाओं, सर्जिकल और Consumable सामग्री के खुदरा खरीद हेतु सुयोग्य Vender/Supplier से मुहरबंद लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो कि दो (2) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए मान्य होगी।

आवेदन करने वाले Vender/Supplier के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए, जिसके पश्चात उनके सूचीबद्ध (Empanalment) होने की पात्रता पर विचार किया जाएगा :-

1. Supplier/Vender/Firms को सोनपुर में अवस्थित होना चाहिए, प्राथमिकता का अवसर उन्हें मिलेगा जो सोनपुर मंडल चिकित्सालय के आसपास हो।
2. Supplier/Vender/Firms के पास तकनीकी कानूनी एवं वित्तीय योग्यता होनी चाहिए।
 - Technical (तकनीकी) सक्षम, योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति यानि फार्मासिस्ट हो।
 - कानूनी (Legal) योग्यता प्रोप्राइटर के वैध Drug license, Pan और GST No.
 - वित्तीय (financial) योग्यता - CA द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का कारोबार का टर्न ओवर का सत्यापित पत्र / ITR दस्तावेज (तीन वर्ष)
 - Performance certificate जहाँ विगत तीन वर्षों से Supplier/Vender/Firms कार्य कर रहा हो अथवा कार्य कर चुका हो।
 - मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को संबोधित पंजीकरण करने कम लिए आवेदन जिसका विषय और संबंध दवा सर्जिकल और consumable items (Lab, x-ray, items) से हो।
 - आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/फर्मों को MRP (Medicines, Surgical and Consumables अलग से) पर छुट की पेशकश करनी होगी जो विक्रेता अधिकतम छुट प्रदान करता है, उसके लिए उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति करने हेतु दो वर्षों के लिए अनुबंध से सम्मानित किया जाएगा।

Empanalment (सूचीबद्ध) Supplier/Vender/Firms से कार्य के निम्नलिखित तौर तरीके और services अपेक्षित है।

1. दवा खरीद का आदेश प्राप्त होने के बाद जिसका माध्यम physical handover या Fax/Email या electronic media platform हो, दवा की सप्लाई तत्काल प्रभाव से उसी दिन या जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। दवा और बिमारी की प्रकृति के साथ आदेश देने का समय प्रमुख्यता रखेंगे।
2. Supplier/Vender दवा indent order के अनुसार ही सप्लाई करेंगे (same composition or name) किसी प्रकार का बदलाव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सहमति के बगैर मान्य नहीं होगा।
3. किसी प्रकार की कमी या निम्न/अवमानक quality, आपूर्ति में विलम्ब पर सख्त कारवाई की जायेगी जो की रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: 2014/RS(GY79/13 Dt. 04/06/2018 के आलोक में होगी।
4. आपूर्ति की शीघ्रता संनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखा जाना चाहिए। आवश्यक कार्यशील सेवाएँ 24 x 7 के अघार पर हैं।

वैसे Supplier/Vender/Firms जो अपना नाम मंडल रेल चिकित्सालय सोनपुर में empanel (सूचीबद्ध) करवाना चाहते हों और जो उपर लिखित पात्रता की शर्तों को पुरा करते हैं वे इस विज्ञापन के 21 दिनों के अन्दर अपना आवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पूर्व मध्य रेल सोनपुर, पोस्ट- सोनपुर, जिला - सारण, पीन कोड - 841101 पर भेज सकते हैं।

• विस्तृत विवरण के लिए website (वेबसाइट) पर विवरण वर्णीत है - www.ecr.indianrailways.gov.in

नोट :- 1. यदि इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में कोई अन्तर पाया जाता है तो अंग्रेजी भाषा का संस्करण ही मान्य होगा।

2. रेलवे किसी भी समय या प्रक्रिया के किसी भी चरण के आंशिक या पूर्ण भाग को समाप्त/रद करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है तथा इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sub
27/04/2020

(Dr. Subodh kumar)

Sr. Divisional Medical officer
For Chief Medical Superintendent
East Central Railway, Sonpur

Sub
27/04/2020

Sub
27/04/2020

विज्ञापन के पूर्व P/2 करने P/2 करने

DS/SEE का किसी दिवसी अनुवाद किया

जिसका जिसके दोनों numbers द्वारा

P/2 पर सहमति लिखा गया।

इसके उपरांत आपके पास अनुमानित ईट्ट स्टॉक प्रस्तुत

DS/SEE
अनुमोदित
27/4/2020